<u>आर टी आई मामला</u>

<u>सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय</u>

फा.सं.ए. 60011/01/2013-आर टी आई सेल (प्रशा.)

संघ लोक सेवा आयोग

(आर टी आई सेल-प्रशा.)

दिनांक 10 जनवरी , 2013

<u>परिपत्र</u>

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत साक्षात्कार में विषय विशेषज्ञों के रूप में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों के नाम, पदनाम तथा पते की जानकारी को प्रकट करने के संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग बनाम सैय्यद हुसैन अब्बास रिज़वी तथा अन्य के मामले में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दायर सिविल अपील सं. 9052,2012 (एस एल पी (सी) सं. 20217, 2011 से उत्पन्न) में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.12.2012 को दिया गया निर्णय

प्रकरण की पृष्ठभूमि तथा तथ्य इस प्रकार है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने बिहार सरकार पटना में कतिपय पदों को भरने के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया था । विज्ञापन में यह उल्लेख किया गया था कि पर्याप्त मात्रा में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। क्योंकि इस मामले में बहुत ही कम मात्रा में आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे । आयोग ने विज्ञापन के संदर्भ में लिखित परीक्षा आयोजित न करने संबंधी निर्णय लिया । आयोग ने उक्त पद के लिए केवल मौखिक परीक्षण के आधार पर उम्मीदवारों की भर्ती करने का विकल्प चुना । आयोग ने चयन की प्रक्रिया पूरी की तथा बिहार राज्य सरकार को चयनित उम्मीदवारों के एक पैनल की अनुशंसा की ।

(।।) सैय्यद हुसैन अब्बास रिज़वी ने बिहार लोक सेवा आयोग में आर टी आई अधिनियम के अंतर्गत साक्षात्कार बोर्ड में उपस्थित होने वाले विषय विशेषज्ञ के नाम, पदनाम तथा पता संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दायर किया। बिहार लोक सेवा आयोग ने आर टी आई अधिनियम की धारा 8 (1) (जी) के उपबंधों का उल्लेख करते हुए सूचना नहीं दी । प्रतिवादी ने राज्य सूचना आयोग में अपील दायर की जिसने बिहार लोक सेवा आयोग को साक्षात्कार बोर्ड में भाग लेने वाले विषय विशेषज्ञों के नाम, पदनाम तथा पता देने के संबंध में निर्देश जारी कर दिए ।

(।।।) राज्य सूचना आयोग से व्यथित होकर बिहार लोक सेवा आयोग ने इस मामले में उच्च-न्यायालय (एकल पीठ) पटना में चुनौती दी जिन्होंने रिट याचिका को खारिज कर दिया । व्यथित महसूस करते हुए, बिहार लोक सेवा आयोग ने एकल पीठ निर्णय को पटना उच्च न्यायालय की खंड पीठ में चुनौती दी । खंड पीठ ने यह विचार व्यक्त किए कि आर टी आई अधिनियम की धारा 8

के उपबंध इस मामले में लागू नहीं होते और बिहार लोक सेवा आयोग को साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों के नाम की जानकारी देने का निर्देश दे दिया ।

(Iv) बिहार लोक सेवा आयोग ने उक्त निर्णय की वैधता तथा औचित्य को चुनौती देते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों के नाम तथा पतों के प्रकटीकरण से प्रत्यक्षतः उनका जीवन या उनकी शारीरिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी । किसी असफल उम्मीदवार द्वारा ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ बदले की कार्रवाई करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता । एक ओर तो यह साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों को खतरे में डालना है और दूसरी ओर इस प्रकार का प्रकटीकरण किसी सार्वजनिक प्रयोजन को सिद्ध नहीं करता । इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय के निर्णय में व्यक्त इस विचार का कोई आधार नहीं है कि यदि परीक्षकों / साक्षात्कार लेने वालों के नाम और पते प्रकट कर दिए जाते हैं तो उनके पूर्वाग्रह के पहलुओं का पता लगाया जा सकता है और इससे इसमें पारदर्शिता आएगी ।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय को अलग रखते हुए यह निर्णय दिया है कि बिहार लोक सेवा आयोग साक्षात्कार बोर्ड में भाग लेने वाले विषय विशेषज्ञों के नाम, पदनाम तथा पते देने के लिए बाध्य नहीं है।

3. सभी के.लो.सू.अधि. / अपीलीय प्राधिकारियों से अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्णय के पहलुओं को सूचना तथा मार्गदर्शन के लिए सभी संबंधितों की जानकारी में लाएं ।

(राजीव श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं आर टी आई)